न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 323 / 2020

सीताराम हजाम.............................वादी ।

बनाम

दीनानाथ हजाम वगै0.............................. प्रतिवादीगण।

आदेश

07.02.2024

उभय पक्ष की हाजिरी है। आज अभिलेख वादी द्वारा दाखिल इम्तनाई आवेदन दिनांक–19.10.2023 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 धारा 151 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत आदेश हेतु नियत है, जिसमें वादी का कहना है कि वादी ने यह वर्तमान मुकदमा यह घोषित करने हेतु दाखिल किया है कि विवादित एराजी वादी की मौरूसी एराजी है तथा हाल सर्वे खतियान गलत बना है तथा उसकी पायबंदी वादी पर नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित एराजी को विक्री करने की बातचीत जितेन्द्र पाण्डेय के साथ तय कर लिये हैं तथा एक लिखित एग्रीमेंट तैयार कर लिये हैं तथा केता से काफी रकबा बतौर जरबयाना के तौर पर ले लिये हैं। जितेन्द्र पाण्डेय काफी दबंग व्यक्ति हैं तथा उनका पुलिस प्रशासन में काफी पैठ है तथा विवादित एराजी विक्री होने पर कानून व्यवस्था का भी प्रश्न पैदा हो सकता है तथा वादी को काफी नुकसान होगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को काफी क्षति होगा तथा अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादीगण के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर

<u>लगातार</u>
07.02.2024
उन्हें मुकदमें के फैसले तक जमीमा नं0 1 की विवादित एराजी को विक्री करने से रोका जाये।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक– 03.01.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल कर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन कानून संगत नहीं है तथा खारिज करने योग्य है तथा गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रथम दृष्टया केस वादी के पक्ष में नहीं है तथा सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है तथा निषेधाज्ञा नहीं होने से वादी को कोई क्षति नहीं होगी। वादी ने नया सर्वे खतियान को चैलेंज किया है अर्थात नया सर्वे खतियान प्रतिवादीगण के नाम से है। प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीरी में वंशावली दर्शाया है जिसमें स्नेही हजाम जो प्रतिवादीगण के पूर्वज थे तथा डुमरॉव राज से 19.11.1917 को ही पुराना प्लाट 2349 रकबा 70 डी0 तथा पुराना प्लाट नं0 2353 रकबा 63 डी0 कुल 1 एकड़ 33 डी0 रस्टर्ड पट्टा से प्राप्त किये थे जिसे नया सर्वे में नया खाता 185, नया प्लाट 2511 बिल्कुल सही तरीके से स्नेही हजाम के नाम से दखली खाने में तैयार है जो स्नेही हजाम के पट्टा की एराजी थी। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि परिवार में निबंधित बंटवारा दिनांक– 10.04.87 को वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से हो गया है तथा उक्त बंटवारा पैतृक एराजी के साथ पट्टा वाली एराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज सोनिया देवी वो मेघनाथ ठाकुर के हिस्से में दिखाया गया है तथा उक्त बंटवारा पर वादी के पिता सीतारामा ठाकुर ने स्वीकार किया है तथा उक्त बंटवारा को किसी ने चैलेंज नहीं किया है तथा दिनांक– 10.04.87 के निबंधित बंटवारा के आधार पर प्रतिवादीगण दखल कब्जा में चले आते हैं जिससे कोई सरोकार वादी को नहीं है तथा उक्त बंटवारा के आधार पर लैंड पजेशन सर्टिफिकेट भी प्रतिवादीगण के नाम से तैयार हो गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी ने यह मुकदमा 1987 के बंटवारा को छुपाकर दाखिल किया है तथा यह भी कथन करते हैं कि दिनांक– 13.07.2021 को दाखिल बयान तहरीरी को भी

लगातार

07.02.2024

इस जवाब का अंश माना जाये तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 19.10.2023 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त आवेदन को निस्तारण करने के लिए तथा निषेधाज्ञा आवेदन के लिए निर्धारित तीन बिन्दुओं का विचारण किया जायेगा।

प्रथमदृष्टया मामलाः– आदेश 39 नियम 1 वो 2 धारा 151 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला साबित करने के लिये वादी को यह साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वादी अपना स्वत्व संदेह से परे साबित करे, अपितु इतना ही पर्याप्त है कि वादी एक विधिसम्मत प्रश्न विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में न्यायालय के समक्ष रखने में समर्थ हो। वादी ने यह वाद विवादित जमीन पर अपना हकियत घोषित करने तथा विवादित जमीन सम्बंधी हाल सर्वे के इन्द्राज गलत घोषित करने हेतु लाया है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है। वर्तमान में यह वाद विवादक बिन्दु के गठन पर सुनवाई हेतु चल रहा है। इसी बीच वादी द्वारा यह निषेधाज्ञा आवेदन लाया गया है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वत्व वाद सं0 **54/2020** के गवाहों की गवाही की अभिप्रमाणित प्रति, बंटवारा दिनांक– 10.04.1987 की छायाप्रति, पुनरीक्षण वाद सं0 **3622/1986** का आदेश का बजाप्ता नकल, खेसरा पंजी का प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल किया गया है। जब कि प्रतिवादी के तरफ से 10.04.1987 के बंटवारा की छायाप्रति, सी0 डब्लू0 जे0 सी0 केस नं0 **2177/1992** में पारित आदेश दिनांक– 27.09.2023 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। वादी द्वारा मुकदमा सं0 **54/2020** के गवाह काशी हजाम, यदुपति ठाकुर, आशीष शंकर राय, दीनानाथ हजाम, शिव शम्भू तिवारी की शपथ पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है इसे दीनानाथ हजाम बनाम सीताराम हजाम के रूप में चल रहा है, लेकिन वाद सां0 **54/2020** का विवादित जमीन क्या है तथा उसमें क्या अनुतोष की मांग की गई है इसका कोई वर्णन इन शपथ पत्र में नहीं है। वादी के तरफ से एक बंटवारा दिनांक– 10.04.1947 की छायाप्रति दाखिल की गई है जो मु0 सोनीया देवी जो स्व0 कैलाश हजाम की पत्नी हैं जिनके एकमात्र पुत्र इस वाद में प्रतिवादी है तथा मेघनाथ हजाम के तीन पुत्र इस वाद के प्रतिवादी हैं तथा

लगातार
07.02.2024
दीनानाथ हजाम इस वाद के वादी हैं। उक्त बंटवारा में सोनीया देवी एवं मेघनाथ ठाकुर को सूचि 'क ' की भूमि तथा सीताराम हजाम (वादी) को सूचि 'ख ' की भूमि प्राप्त हुई। जिसके तहत मु0 सोनीया देवी को दो एकड़ 10 डी0 जमीन प्राप्त हुई तथा इस वाद के वादी सीताराम ठाकुर को कुल 43 डी0 जमीन हिस्सा में प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त निबंधित बंटवारा कुल दो एकड़ 53 डी0 जमीन का हुआ। वादी के तरफ से संयुक्त निदेशालय (चकबंदी) पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक– 25.01.1992 की छायाप्रति दाखिल की गई है जो पुरनीक्षण वाद सं0 **3622/86** चकबंदी अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत पारित आदेश है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि हाल सर्वे खाता सं0 135, खेसरा सं0 2482, 2506 एवं 2511 पर वादी एवं प्रतिवादी का बराबर–बराबर हिस्सा अंकित किया जाये तथा इस प्रकार चकबंदी पदाधिकारी, ब्रहम्पुर एवं सहायक निदेशक चकबंदी भोजपुर द्वारा अपील वाद सं0 60/1985–86 में पारित आदेश को विवादित किया गया। वादी द्वारा खेसरा पंजी जो पोतन हजाम के नाम से है जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल की गई है जो इसे सिर्फ खेसरा सं0 2349, 2353, 3083, 3094 पर भी लागू है। वादी के तरफ से खाता सं0 529, खेसरा सं0 3622 रकबा 28 डी0 का खतियान दाखिल की गई है जो स्नेही हजाम के नाम से है, परन्तु यह खेसरा विवादित जमीन में सम्मिलित नहीं है। वादी के तरफ से खेसरा पंजी दाखिल की गई है जो खाता सं0 **313/2046**, **313/2046** एवं 95 से सम्बंधित है जो पोतन हजाम के नाम से है, परन्तु वादी द्वारा दाखिल वंशावली में पोतन हजाम का कहीं वर्णन नहीं है। वादी के तरफ से पुराना खतियान की सत्यापित प्रति दाखिल की गई है जो खाता सं0 411, खेसरा सं0 3083, खाता 412, खेसरा 2486 से सम्बंधित है। यह भी खतियान पोतन हजाम के नाम से ही है। वादी के तरफ से हाल सर्वे खतियान जो खाता सं0 185, खेसरा सं0 340, 2506, 2511, खाता सं0 186,खेसरा 2933,2939, 3305, 3406, 3407से सम्बंधित है जो स्नेही हजाम व लखन हजाम एक अंश समान तथा सीताराम हजाम एक अंश समान के नाम से है।

दूसरी तरफ प्रतिवादी के तरफ से भी दिनांक– 10.04.1987 का निबंधित बंटवारा की छायाप्रति दाखिल की गई है जिसका वर्णन पूर्व में किया

<u>लगातार</u>

07.02.2024

जा रहा है। इस प्रकार यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विवादित जमीन का कुछ अंश उभय पक्षों के बीच निबंधित दस्तावेज द्वारा दिनांक– 10.04.1987 से ही बंटवारा हो चुका है तथा वादी द्वारा यह वाद विवादित जमीन पर हकियत घोषित करने तथा हाल सर्वे खतियान को गलत घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु लाया गया है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि सर्वे खतियान में दर्ज इन्द्राज सही माना जायेगा तब तक कि युक्तियुक्त साक्ष्य द्वारा इसे विखंडित न किया जाये। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया केस बनता प्रतीत नहीं होता है।

<u>2 एवं 3 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :–</u> वादी द्वारा दाखिल इम्तनाई आवेदन में यह वर्णन किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादीगण विवादित जमीन को विक्रय हेतु जितेन्द्र पाण्डेय से बातचीत किये हैं तथा उनके साथ तथा उनके साथ लिखित एग्रीमेंट कर लिए हैं, परन्तु वादी द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण कोई एग्रीमेंट विवादित जमीन को बिक्री करने हेतु किए है। इस प्रकार वादी के पक्ष में सुविधा का भी संतुलन बनता प्रतीत नहीं होता है तथा उन्हें कोई अपूर्णीय क्षति होने की भी सम्भावना नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 19.10.2023 को खारीज किया जाता है। इस आदेश का प्रभाव इस वाद के अंतिम निर्णय पर नहीं होगा तथा विवादित जमीन को किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री इस वाद के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

वास्ते दिनांक–.22.02.2024 सुनवाई हेतु।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव